



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.E(P&A)II-2021/Bonus-1

RBE No. 77 /2021 New Delhi, dated 29.10.2021

The General Managers/CAOs (R), All Indian Railways & Production Units.

Subject: Grant of ad-hoc bonus for 30 days to the Group 'C' RPF/RPSF personnel for the financial year 2020-21.

The President is pleased to decide that all Group 'C' RPF/RPSF personnel, may be granted ad-hoc bonus equivalent to 30 (thirty) days emoluments for the financial year 2020-21, without any wage eligibility cerling. The calculation ceiling for payment of ad-hoc Bonus under these orders shall be monthly emoluments of Rs.7000/-, as revised w.e.f 01.04.2014 vide Ministry of Finance (Department of Expenditure)'s OM No. 7/4/2014/E.III9A), dated 29th August, 2016.

- 2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:
 - a) Only those Group 'C' RPF/RPSF personnel who were in service on 31.3.2021 and have rendered at least six months of continuous service during the year 2020-21 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible personnel for period of continuous service during the year from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded off to the nearest number of months).
 - b) The quantum of Non-PLB (ad-hoc bonus) will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate Non-PLB (ad-hoc bonus) for one day, the average emoluments in a month will be divided by 30.4 (average number of days in a month). This will, thereafter, be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of Rs.7000/- (where actual average emoluments exceed Rs.7000), Non-PLB (ad-hoc bonus) for thirty days would work out to Rs.7000 x 30/30.4 = Rs.6907.89 (rounded off to Rs.6908/-)
 - c) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.
 - d) Various points regarding regulation of Ad-hoc/Non-PLB Bonus are given in the Annexure.

- e) All the Group 'C' RPF/RPSF personnel, regardless of whether they are in uniform or out of uniform and regardless of place of their posting, shall be eligible only for adhoc bonus in terms of these orders.
- 3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
- 4. Hindi version is enclosed.

(N.P.Singh)

Joint Director, Estt. (P&A)

Railway Board

Tele No.47845124

Email ID: nirbhay.singh26@gov.in

1st Floor, Room No.109-B

No.E(P&A)II-2021/Bonus-1 <u>Copy to :-</u>

New Delhi, dated 29.10.2021

1. The PFAs, All Indian Railways and Production Units.

2. Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

Maurran,

For Member (Finance)/Railway Board

No.E(P&A)II-2021/Bonus-1

New Delhi, dated 29.10.2021

- The Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.
- 2. The Prinicipal Chief Security Commissioner, All Indian Railways/PUs.
- 3. The Commanding Officers, Railway Protection Special Force:-
 - (i) No.1 Bn/Lumding.
- (vii) No. 7 Bn/. Secunderabad.
- (ii) No.2 Bn/Gorakhpur
- (viii) No. 8 Bn/Chittaranjan.
- (iii) No.3 Bn/Lucknow.
- (ix) No.9 Bn/Jagadhri.
- (iv) No.4 Bn/New Jalpaiguri.
- (x) No.10Bn/Dhanbad.
- (v) No.5 Bn/Tiruchchirapalli.
- (xi) No.11 Bn/Gehrara.
- (vi) No. 6 Bn/Dayabasti, Delhi.
- (xii) No.12 Bn/Thakurli.

(N.P.\$ingh)

Joint Director, Estt. (P&A)

Railway Board

Tele No.47845124

Email ID: nirbhay.singh26@gov.in

1st Floor, Room No.109-B

No.E(P&A)II-2021/Bonus-1

Copy to:-

- (i) The General Secretary, AIRF.
- (ii) The General Secretary, NFIR.
- (iii) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary/ Staff side, National Council, 13-C Ferozeshah Road, New Delhi.
- (iv) The Secretary General, FROA.
- (v) The Secretary General, IRPOF.
- (vi) The Secretary General, All India RPF Association.
- (vii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
- (viii) The Secretary, RBSS, Group A Officers' Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi.
- (ix) The Secretary, Railway Board Group 'B' Officers' Association.
- (x) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- (xi) The General Secretary, Non-Ministerial Staff Association, Rail Bhawan.
- (xii) The General Secretary, Railway Board Secretariat Stenographers Services Association, Rail Bhawan.
- (xiii) The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association.
- (xiv) The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Rail Bhawan, New Delhi.
- (xv) All India O.B.C. Railway Employee's Association.

(xvi) The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association, Room No. 490 A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

For Secretary/Railway Board.

Copy to: PSO/Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to:-

MR, MoSR (J), MoSR (D), CRB & CEO, Member Finance, Member Infra., Member(Traction and Rolling Stock), Member (O&BD), Secretary, DG/RHS, DG/RPF, DG/Safety, AM(Staff), AM/HR. AM/R, AM/PU, AM (F), AM/Works, AM/RS, AM/Traffic Transportation, AM(CE), AM(Budget), AM(Mech. Engg.), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Plg.), AM/Revenue, AM/Signal, AM/C, AM/L&A, AM/EnHM, AM/RE, AM/Traction, AM/Marketing & Business Development, PED/Chg., PED/TTM, PED/Bridge, PED/Signal, PED/SD, PED/Accounts, PED/EE(RS), PED/Trg.&MPP, PED/Health, PED/Vigilance, PED/Infra, PED/Safety, ED(Plg), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Chg), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, ED(EEM), EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), ED(EEM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg), EDME(Frt.), EDME(Trg.), EDME(Dev), EDME(W), EDPC-I, EDPC-II, ED(PP), ED(Proj)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(P), EDRS(G), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), ED/Track(M), ED/Track(MC), ED/Track(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), ED (ERP), ED(Innovation)/MoS(S), ED/Traffic & Comml. (EnHM), ED/Elec./Transformation, ED(NFR/TC), IG/RPF(HQs), IG/RS, JS, JS(D), JS(E), JS(G), JS(P), DE(N), DF(CCA), DF(A/Cs), DE(G), DE(N), DPR, JDE(G), JDE(D&A), JDE(L), JDE(LL), JDPC, JDE(W), JDF(B), JDF(E), JDE(N), JDE(Res), JD(MPP), JDE(GP), DS(G), DS(Parl), US(A), PAO, DDE(D&A), JDE(RRB), DDE(Sports), DDE(N), DDE(LR)I, DDF(E)I, II, & III, DD(H), DDE(R)II, DDE(W), DDPC-VII, DDE(Trg.).

Point		Clarification			
1.	Whether the employees in the following categories are eligible for the benefit of ad-hoc bonus for an accounting year.	Subject to completion of minimum six months continuous service and being in service as on 31 st March, 2021.			
(a)	Employees appointed on purely temporary ad-hoc basis.	(a) Yes, if there is no break in service.			
(b)	Employees who resigned, retired from service or expired before 31 st March, 2021.	(b) As a special case only those persons who superannuated or retired on invalidation on medical grounds or died before 31 st March, 2021 but after completing at least six months regular service during the year will be eligible for the adhoc bonus on pro-rata basis in terms of nearest number of months of service.			
(c)	Employees on deputation/foreign service terms to state governments, U.T. Governments, Public Sector Undertakings, etc, on 31 st March, 2021.	(c) Such employees are not eligible for the ad-hood bonus to be paid by the lending departments. In such cases the liability to pay ad-hoc bonus lies with the borrowing organization depending upon the ad-hoc bonus/PLB/ex-gratia/incentive payment scheme, if any, in force in the borrowing organization.			
(d)	Employees who reverted during accounting year from deputation on foreign service with the organizations indicated in 'C' above.	(d) The total amount of bonus/ex-gratia received for the accounting year from foreign employer and the ad-hoc bonus, if any, due from a Centra Government office for the period after reversion will be restricted to the amount due under ad-hoc bonus as per these orders.			
(e)	Employees from state Government/U.T. Admn./Public Sector Undertakings on reverse deputation with the Central Government.				
(f)	Superannuated employees who were re-employed.	(f) Re-employment being fresh employment eligibility period is to be worked out separatel for re-employment period, the total amoun admissible, if any, for prior to superannuation an that for re-employment period being restricted the maximum admissible under ad-hoc bonu under these orders.			

- Except in the case of leave without pay the period **Employees** half-pay (g) (g) on of leave of other kinds will be included for the leave/E.O.L./leave not due/study purpose of working out eligibility period. The leave at any time during the period of E.O.L./dies non will be excluded from accounting year. eligibility period but will not count as break in service for the purpose of ad-hoc bonus. Subsistence allowance given to an employee (h) Employees under suspension at any (h) time during the accounting year. under suspension for a period in the accounting year cannot be treated as emoluments. Such an employee becomes eligible for the benefit of adhoc bonus if and when reinstated with benefit of emoluments for the period of suspension, and in other cases such period will be excluded for the purpose of eligibility as in the case of employees on leave without pay.
- (i) Employees transferred from one Ministry/department/Office covered by ad-hoc bonus orders to another within the Government of India or a union Territory Government covered by ad-hoc bonus orders and vice versa.
- (i) Employees who are transferred from any of the Ministry/Department/Office covered by ad-hoc bonus orders to another such office without break in service will be eligible on the basis of combined period of service in the different organizations. Those who are nominated on the basis of a limited departmental or open competitive exam from one organization to a different organisation will also be eligible for the ad-hoc bonus. The payment will be made only by the organization where he was employed as on 31st March, 2021 and no adjustments with the previous employer will be necessary.
- (j) Employees who are transferred from a Government Department/organization covered by ad-hoc bonus orders to a government Department/Organization covered by productivity Linked bonus scheme or vice versa.
- (j) They may be paid what would have been paid on the basis of emoluments in ad-hoc bonus covered department for the entire year less the amount due as productivity-linked bonus. The amount so calculated may be paid by department where he was working on 31st March 2021 and/or at the time of payment.
- (l) Part time employees engaged on nominal fixed payment.
- (l) Not eligible





भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीई सं.77/2021

सं.ई (पी एंड ए)॥-2021/बोनस-1

नई दिल्ली, दिनांक: 29.10.2021

महाप्रवंधक/सीएओ (आर), सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: आरपीएफ/आरपीएसएफ के समूह "ग" कार्मिकों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिनों का तदर्थ बोनस प्रदान करना।

राष्ट्रपति ने सहर्ष विनिश्चय किया है कि आरपीएफ/आरपीएसएफ के सभी समूह "ग" कार्मिकों को मंजूरी पात्रता की सीमा के बिना वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 (तीस) दिनों की परिलब्धियों के समतुल्य तदर्थ बोनस प्रदान किया जाए। इन आदशों के अंतर्गत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना सीमा 7000/- रुपए की मासिक परिलब्धि होगी जैसाकि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं.7/4/2014/ई॥।9ए के तहत 01.04.2014 से संशोधित किया गया था।

- यह लाभ निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगा:
 - (क) इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के लिए आरपीएफ/आरपीएसएफ के समूह "ग" के केवल वे कार्मिक पात्र होंगे जो 31.03.2021 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान कम-से-कम छह माह की निरंतर सेवा दी हो। पात्र कार्मिकों को छह माह से लेकर पूरे एक वर्ष के दौरान की गई निरंतर सेवा अविध में सेवा के माह की संख्या (जिसे माह की निकटतम संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) की पात्रता अविध के अनुसार यथानुपात भुगतान देय होगा।
 - (ख) गैर-उत्पादकता संबद्घ बोनस (तदर्थ बोनस) की राशि की गणना औसत परिलिब्धियों/गणना सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के गैर-उत्पादकता संबद्घ बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए एक माह की औसत परिलिब्धियों को 30.4 (एक माह में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद इस संख्या को दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 7000/- रुपए की गणना सीमा (जहां वास्तविक औसत परिलिब्ध 7000/- रुपए से अधिक हो) मानते हुए तीस दिनों का गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 7000 x 30/30.4 = 6907.89 रु. (6908/- रुपए में पूर्णांकित) होगा।
 - (ग) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान निकटतम रुपए में पूर्णांकित किए जाएंगे।
 - (घ) तदर्थ/गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस के विनियमन से संबंधित विभिन्न मुद्दे अनुबंध में दिए गए हैं।

- (ङ) इन आदेशों के अनुसार सभी समूह 'ग' आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिक, चाहे वे वर्दी में हों या वर्दी में न हों और उनकी तैनाती के स्थान पर ध्यान दिए बिना केवल तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे।
- 3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

Em

(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं अत्ते)

रेलवे बोर्ड

टेली: 47845124

ईमेल: nirbhay.singh26@gov.in

प्रथम तल, कमरा नं.109बी

सं.ई (पी एंड ए)॥-2021/बोनस-1

नई दिल्ली, दिनांक: 29.10.2021

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।
- 2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली

विकास भारवीकारी

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

सं.ई (पी एंड ए)॥-2021/बोनस-1

नई दिल्ली, दिनांक: 29.10.2021

- 1. रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ
- 2. प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
- 3. कमान अधिकारी,रेल सुरक्षा विशेष बल: -

		•			
(i)	नं.1	बटालियन/लमडिंग.	(vii)) नं.7	बटालियन/सिकंदराबाद

(ii) नं.2 बटालियन/गोरखपुर (viii) नं. 8 बटालियन/चितरंजन

(iii) नं.3 बटालियन/लखनऊ (ix) नं.9 बटालियन/जगाधरी

(iv) नं.4 बटालियन/न्यू जलपाईग्ड़ी (x) नं.10 बटालियन/धनबाद

(v) नं.5 बटालियन/तिरुचिरापल्ली (xi) नं.11 बटालियन/गेहरारा

(vi) नं. 6 बटालियन/दयाबस्ती, दिल्ली (xii) नं.12 बटालियन/ठाकुर्ली

(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते)

रेलवे बोर्ड

ਟੇਕੀ: 47845124

ईमेल: nirbhay.singh26@gov.in

प्रथम तल, कमरा नं.109बी

नई दिल्ली, दिनांक: 29.10.2021

प्रतिलिपि:-

- (i) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ।
- (ii) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर।
- (iii) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य और राष्ट्रीय परिषद के सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- (iv) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ।
- (v) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ।
- (vi) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन।
- (vii) अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-।। ऑफिसर्स एसोसिएशन।
- (viii) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.402, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (ix) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
- (x) सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय स्टाफ एसोसिएशन।
- (xi) महासचिव, रेलवे बोर्ड गैर-लिपिकवर्गीय स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन।
- (xii) जनरल सेक्नेटरी, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा एसोसिएशन, रेल भवन।
- (xiii) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्पलॉइज़ एसोसिएशन।
- (xiv)जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (xv) ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे एम्पलॉइज़ एसोसिएशन।

(xvi)जनरल सेक्नेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, 490 ए/16, गुरुद्वारा रोह, गुरूग्राम।

कृते सचिव/रेलबे बोर्ड

(() () 202 Halol () , () () 20110120	-: <u>Stolda</u>
मद	स्पष्टीकरण
1. क्या निम्निलिखित कोटि के कर्मचारी किसी लेखा-वर्ष के लिए तदर्थ बोनस पाने के लिए पात्र हैं।	
(क) पूरी तरह से अस्थायी तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी।	(क) जी हाँ, यदि सेवा में कोई ब्रेक न हो।
(ख) वे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च, 2021 से पहले त्यागपत्र दे दिया हो, सेवानिवृत्त हो चुके हो अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी हो।	(ख) विशेष मामले के रूप में केवल वे व्यक्ति जिन्होंने 31 मार्च 2021 से पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर ली हो अथवा चिकित्सीय आधार पर अशक्तता
	के कारण सेवानिवृत्त हुए हों परंतु उस वर्ष में कम से कम छह माह की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, वे सेवा के निकटतम महीनों की संख्या के अनुपात में तदर्थ बोनस पाने के पात्र होंगे।
(ग) 31 मार्च 2021 को राज्य सरकारों, संघ शासित सरकारों, सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त/विदेश सेवा की शर्तों पर गए कर्मचारी।	(ग) ऐसे कर्मचारी प्रदाता विभाग द्वारा तदर्थ बोनस का भुगतान किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे मामलों में तदर्थ बोनस देने की ज़िम्मेदारी आदाता संगठन के तदर्थ बोनस/पीएलबी/अनुग्रह/ प्रोत्साहन भुगतान योजना, यदि कोई हो, के अनुसार आदाता संगठन की है।
(घ) वे कर्मचारी जो लेखा वर्ष के दौरान उपर्युक्त 'ग' में इंगित संगठनों में विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति से वापस आए हों।	(घ) रिवर्सन के पश्चात, लेखा वर्ष के लिए विदेश सेवा नियोक्ता से प्राप्त बोनस/अनुग्रह की कुल राशि और उस अवधि के लिए केंद्रीय सरकारी कार्यालय से देय तदर्थ बोनस, यदि कोई हो, वह इन आदेशों के अनुसार तदर्थ बोनस के अंतर्गत देय राशि तक ही सीमित रहेगी।
(ङ) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार में रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर हों।	(ङ) जी हाँ, वे कर्मचारी इन आदेशों के संदर्भ में आदाता विभाग द्वारा देय तदर्थ बोनस के पात्र हैं बशर्ते प्रतिनियुक्ति भत्ते के अलावा प्रतिनियुक्ति के भाग के रूप में कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन न दिया गया हो और प्रदाता प्राधिकारियों को कोई आपति न हो।
(च) अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारी जिन्हें पुनर्नियोजित किया गया हो।	(च) पुनर्नियोजन नई नियुक्ति होने के कारण, पुनर्नियोजन अवधि के लिए पात्रता अवधि का अलग से आकलन किया जाना चाहिए और किसी पुनर्नियोजित अवधि के लिए कुल अनुमेय राशि को

इन आदेशों के अंतर्गत अधिकतम अनुमेय सीमा

(छ) कर्मचारी, जो लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय अर्ध वेतन छुट्टी/ ई.ओ.एल/ अनर्जित छुट्टी/ अध्ययन अवकाश पर हों।

(ज) कर्मचारी, जो लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय निलंबित हों।

(झ) तदर्थ बोनस आदेशों के दायरे में आने वाले भारत सरकार या संघ शासित प्रदेश सरकार के मंत्रालय/ विभाग/कार्यालय से तदर्थ बोनस आदेशों के अंतर्गत आने वाले अन्य विभागों और विलोमतः के दायरे में आने वाले स्थनांतरित कर्मचारी।

- (ञ) तदर्थ बोनस आदेशों द्वारा कवर किए गए सरकारी विभाग/ संगठन से उत्पादकता संबद्ध बोनस योजना द्वारा कवर किए गए सरकारी विभाग/संगठन अथवा विलोमतः में स्थानांतरित कर्मचारी।
- (1) नाममात्र निश्चित भुगतान पर नियुक्त अंशकालिक कर्मचारी।

तक सीमित किया जाएगा।

- (छ) केवल बिना वेतन की छुट्टी के मामले के अलावा अन्य प्रकार की छुट्टियों की अवधि को पात्रता की अवधि के आकलन के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तदर्थ बोनस के लिए ई.ओ.एल./अकार्य दिवस को पात्रता की अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा परन्तु इनकी गणना सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं की जाएगी।
- (ज) लेखा वर्ष की अवधि में निलंबित किए गए कर्मचारी को दिए गए निर्वाह भत्ते को परिलब्धियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसा कर्मचारी तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र होगा यदि उसे निलंबन की अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभ के साथ बहाल किया जाता है, और अन्य मामलों में ऐसी अवधि को पात्रता के उद्देश्य के लिए बाहर रखा जाएगा जैसा कि बिना वेतन छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में किया जाता है।
- (झ) कर्मचारी जो तदर्थ बोनस आदेशों के दायरे में आने वाले किसी भी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से सेवा में बिना ब्रेक के ऐसे किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किए जाते हैं, वे विभिन्न संगठनों में सेवा की संयुक्त अविध के आधार पर पात्र होंगे। कर्मचारी जो एक संगठन से किसी अन्य संगठन में सीमित विभागीय या खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नामित होंगे, वे भी तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे। भुगतान केवल उस संगठन द्वारा किया जाएगा जहां वह 31 मार्च, 2021 तक नियोजित था और इसके लिए पिछले नियोक्ता के साथ कोई समायोजन आवश्यक नहीं है।
- (ज) उन्हें उसी राशि का भुगतान किया जाएगा जिसे पूरे वर्ष के लिए तदर्थ बोनस द्वारा कवर किए गए विभाग के वेतन के आधार पर किया जाना था, जो उत्पादकता संबद्ध बोनस से कम है। इस प्रकार गणना की गई राशि का भुगतान उस विभाग से किया जाएगा जहां कर्मचारी 31 मार्च 2021 और/अथवा भुगतान के समय कार्यरत है।
- (1) पात्र नहीं है।